

15/2019

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>20/4/2022</p>	<p>पी. ओ. स. काहर पधारे है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक — 02/05/2022 — को पेश हो।</p>	
<p>02/05/22</p>	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 31/05/22 को पेश हो।</p>	
<p>31/05-22</p>	<p>वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिख है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 15-06-22 को पेश हो।</p>	
<p>15/06/22</p>	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 22/06/22 को पेश हो।</p>	
<p>22-06-22</p>	<p>वकील अपीलान्त अनु. पत्रावली आज पेश हुई। अधि. अपीलान्त को बहल हेतु निरन्तर भवन्त प्रदान किये गए चुके हैं। अतः आज अपीलान्त अपीलान्त न्यायालय में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। आज न्यायालय में अधिवक्ता अपीलान्त को बहल हेतु बार-बार भाषाओं लगाई गई परन्तु अधिवक्ता अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः राजस्थान सू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अपील अपीलान्त अन्तर्गत में खारिज की जाती है। निम्न की प्रति रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली फेलन में शुमार होकर नम्बर लेकम हो।</p>	<p>कति. जिला कलेक्टर. पाली</p>